89

राजस्थान सरकार

प्रारूप 'ख'

(देखिये नियम 9(3),(4) और (6)

कार्यालय विहित प्राधिकारी जिला कलक्टर दौसा— 303303

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(9)2008/ दिनांकः 1.2009

—:: संपरिवर्तन आदेश ::—

श्री लल्लू प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सचिव श्याम नॉलेज पार्क शिक्षा समिति, पंजीकृत कार्यालय ई—562 लालकोठी स्कीम जयपुर के आवेदन अनुसार उप शासन सचिव, राजस्व(भूमि रूपान्तरण)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर का स्वीकृति पत्र क्रमांक प—2(61)राज/भू0रू0/08 दिनांक 5.9.2008 की पालना में ग्राम देहलाल तहसील लालसोट में स्थित उनकी खातेदारी अभिधृति में धारित कृषि भूमि का राजस्थान भू—राजस्व(ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि भूमि का अकृषिक प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन) नियम 2007 के नियम 9(जी) के अधीन वाणिज्यिक (संस्थानिक) प्रयोजन के लिए इनके द्वारा संपरिवर्तन किया जाता है, जिसकी विशिष्टियॉ नीचे दी गई है।

(1) आवेदक खातेदार अभिधारी का नाम, पिता/पत्नि के नाम सहित पूरा पता	श्री लल्लू प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सचिव श्याम नॉलेज पार्क शिक्षा समिति, पंजीकृत कार्यालय ई—562 लालकोठी स्कीम जयपुर
(2) क्या आवेदक अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य है।	नहीं
(3) संपरिवर्तित भूमि का ब्यौरा :—	
(क) ग्राम/ग्राम पंचायत/तहसील का नाम	ग्राम देहलाल ग्राम पंचायत अमराबाद तहसील लालसोट
(ख) भूमि का खसरा संख्या और प्रत्येक खसरा संख्या का क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	ख0नं0 225 रकबा 15बीघा ख0नं0 226 रकबा 15बीघा कुल किता 2 रकबा 30 बीघा = 75000 वर्गमीटर
(ग) प्रत्येक खसरा संख्या की क्षेत्रफल को उपदर्शित करते हुए संपरिवर्तन क्षेत्रफल(वर्गमीटर में)	ख0नं0 225 रकबा 15बीघा ख0नं0 226 रकबा 15बीघा कुल किता 2 रकबा 30 बीघा = 75000 वर्गमीटर
टिप्पणीः— कृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तित भूमि को लाल रंग से दर्शाते हुए राजस्व नक्शे में सुसंगत भाग को सम्यक रूप से सत्यापित — प्रति संलग्न है।	
(4) संपरिवर्तन का प्रयोजन	वाणिज्यिक (संस्थानिक)प्रयोजनार्थ
(5) संदेय प्रीमियम की दर	5/—रूपये प्रति वर्गमीटर की दर से 3,75,000/— रूपये (अक्षरे तीन लाख पिचहत्तर रूपये मात्र)
(6) चालान की संख्या तथा तारीख सहित जमा कराई गई प्रीमियम की रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू—राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये 198 29.9.2008 187500—00 (2) मद पी0डी0ए0 में : चालान सं0 दिनांक राशि रूपये 199 29.9.2008 187500—00
(7) चालान की संख्या तथा तारीख सहित शास्ति यदि कोई हो की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा राशि की दिनांक)	(1) मद 0029 भू—राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये — — —
(8) चालान की संख्या तथा तारीख सहित ब्याज (यदि कोई हो)की जमा कराई गई रकम (बैंक में जमा कराई गई रकम(बैंक में जमा राशि दिनांक)	(1) मद 0029 भू—राजस्व चालान सं0 दिनांक राशि रूपये — —
(9) क्या आदेश नियमितिकरण के लिए नियम—13 के अधीन जारी किया गया :—	नहीं

NOTARY ... Kumar Trivedi Notary ... INDIA

Photo Copy Attested

17 JUL 201

NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

Director
Shyam Knowledge Park Shiksha Samiti
E-562, Lalkothi Scheme,
JAIPUR-302015, Raj.

... जारी

Scanned by CamScanner

90

10 अन्य प्रविष्टियों यदि कोई हो :—

1. प्रार्थी/आवेदक द्वारा राजस्व(ग्रुप–6)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर के आदेश क्रमांक एफ–6(6)राज–6/92–pt/17 दिनांक 25.4.2007 की अनुपालना में वाणिज्यिक(संस्थानिक)प्रयोजनार्थ रूपान्तरित की गई भूमि का ले–आउट प्लान तैयार कर अधिकृत वास्तुविद से प्रमाणित कराया जाकर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति को प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुमोदित करवाना होगा।
2. रूपांतरित की गई भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग से 3.00कि.मी. व स्टेट हाइवे से 1.5कि.मी. तथा डामरीकरण सड़क (देहलाल–डिडवाना) से 0.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। किन्तु इण्डियन रोड़ कांग्रेस के मापदण्डों के अनुसार एम.डी.आर. रोड़ के मध्य से 40 मीटर भूमि निशुल्क राज्यपक्ष में छोडकर ही आवेदक द्वारा वाणिज्यिक(संस्थानिक) प्रयोजन का लेआउट प्लान के अनुसार ही निर्माण कार्य किया जा सकेंगा। इसके अतिरिक्त इस रूपान्तरित की गई भूमि को वाणिज्यिक(संस्थानिक) प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य कोई प्रयोजनार्थ उपयोग में नहीं लिया जावेगा।
3. आवेदक द्वारा रूपान्तरित की गई भूमि में से 40 प्रतिशत क्षेत्र बच्चों की खेल कूद की व्यवस्था एवं पार्क, वाहन पार्किंग आदि के लिये खुला छोड़ना होगा।
4. राज्य सरकार द्वारा कोई शुल्क अगर निर्धारित किया जावेगा अथवा संपरिवर्तन शुल्क की गणना में कोई अन्तर राशि होगी तो प्रार्थी जमा कराने के लिए सदैव बाध्य रहेगा।
5. राजस्व विभाग द्वारा समय–समय पर दिशा निर्देश जारी किये गये है, उनकी पालना की जावेगी।
6. राजकीय स्वीकृति पत्र क्रमांक प–2(61)राज/भू0रू0/08 दिनांक 5.9.2008 के निर्देशानुसार पालना सुनिश्चित की जावेगी।

11.उपयुक्त संपरिवर्तन आदेश निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन होगा :—

1. उपर्युक्त अकृषि प्रयोजनों के लिए संपरिवर्तन भूमि का उपयोग विहित प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
2. यदि आवेदक इस आदेश के जारी होने की तारीख से दो वर्ष की कालावधि के भीतर संपरिवर्तित प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने में विफल रहता है तो अनुज्ञा प्रत्याहृत करली जावेगी और आवेदक द्वारा जमा कराया गया प्रीमियम धन समपहृत हो जायेगा।
3. नियम–4 में यथा वर्णित भूमि का उपयोग अन्य अकृषिक प्रयोजन के लिए नहीं किया जावेगा।
4. वाणिज्यिक(संस्थानिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि के किसी भाग को अन्य किसी अकृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग विहित प्राधिकारी से विधिमान्य अनुज्ञा प्राप्त किये बिना नहीं किया जावेगा।
5. वाणिज्यिक(संस्थानिक) प्रयोजनार्थ संपरिवर्तित भूमि का संपरिवर्तन उपशासन सचिव राजस्व (भू0रू0) विभाग के पत्रॉक–2(61)राज/भू.रू./08 दिनॉक 5.9.2008 मे अंकित शर्तो की पालना किया जाना सुनिश्चित करेगे ।

(जोगाराम)
जिला कलक्टर, दौसा
दिनांक: 30 1.2009

क्रमांक आर18बी(भू0रू0)(9)2008/341–50
प्रतिलिपि :— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है —

1. उप शासन सचिव, राजस्व(भूमि रूपान्तरण)विभाग राजस्थान सरकार जयपुर को उनके पत्र क्रमांक: प–2(61)राज/भू0रू0/08 दिनांक 5.9.2008 के सन्दर्भ में।
2. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी लालसोट।
4. प्रभारी अधिकारी, राजस्व लेखा शाखा, कलेक्ट्रेट दौसा।
5. तहसीलदार लालसोट को उनके पत्र क्रमांक: टीआरए/215 दिनांक 29.9.08 के संदर्भ में मय नक्शा ट्रेस के रिकार्ड में अमलदरामद हेतु।
6. अधिशाषी अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग खण्ड दौसा जिला दौसा।
7. सरपंच, ग्राम पंचायत अमराबाद, पंचायत समिति लालसोट।
8. पटवारी हल्का अमराबाद तहसील लालसोट।
9. श्री लल्लू प्रसाद शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा सचिव श्याम नॉलेज पार्क शिक्षा समिति पंजीकृत कार्यालय ई–562 लालकोठी स्कीम जयपुर
10. गार्ड फाईल।

NOTARY
Pavan kumar Trivedi
Notary
JAIPUR (Raj.) INDIA
Reg. No. 11844
GOVT. OF INDIA

Photo Copy Attested
ATTESTED
NOTARY PUBLIC
JAIPUR (RAJ.) INDIA

Director
Shyam Knowledge Park Shiksha Samiti
E- 562, Lalkothi Scheme,
JAIPUR-302015, Raj.

जिला कलक्टर
दौसा

Scanned by CamScanner